निगरानी प्रकरण क्रमांक :– /2018

प्रस्तुती दिनांक :–

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प, इन्दौर के

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/0817

समक्ष

श्री एम एल लोधा अभि. द्वारा 17/1/18 को प्रस्तुत किया
17/1/18

1. श्रीमति शांता पति ओमप्रकाश
   निवासी– ग्राम करनावद तहसील बागली
   जिला देवास म.प्र.
2. श्रीमती वंदना पति हेमन्त द्विवेदी
   निवासी– ग्राम चापड़ा तहसील बागली
   जिला देवास म.प्र.
3. श्रीमती चन्दाबाई पति ललित शंकर पंडया
   निवासी– 62, खड़कीवाला तहसील सामलिया
   जिला डुंगरपुर, राजस्थान
4. सोमेश्वर पिता जगदीशचन्द
5. दिलीप पिता जगदीशचन्द
6. सिद्धेश्वर पिता जगदीशचन्द
7. जगदीश पिता नागेश्वर
   निवासी– ग्राम गुराड़िया वाला तहसील बागली
   जिला देवास
8. श्रीमति संगीता पति सुरेश
   निवासी– ग्राम सैलाना
   जिला रतलाम (म.प्र.) ...निगरानीकर्ता(अपीलार्थीगण)

विरूद्ध

1. श्रीमती मिनाक्षी पति प्रकाशचन्द पालीवाल
2. निलेश कुमार पिता प्रकाशचन्द पालीवाल
3. आशीष पिता प्रकाशचद पालीवाल
   सभी निवासी अपोजिट वर्मा पेट्रोल पम्प,
   जल चक्की, कांकरोली जिला राजसमंद (राजस्थान)

सतत 2 पर

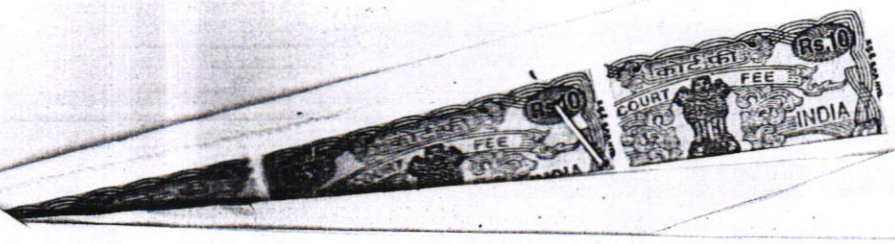

4. श्रीमती शेलबाला पति भूपेश पालीवाल
   निवासी– 28, विनायक नगर, बोहरा गणेशजी,
   उदयपुर (राजस्थान)
5. श्रीमती निलोत्तमा पति रमेशचंद पालीवाल
   निवासी– रामपुरा, नाथद्वारा
   जिला राजसमंद (राजस्थान

.... उत्तरवादी/प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत

मान्यवर महोदय,

माननीय अधीनस्थ न्यायालय माननीय अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग ,इन्दौर के अपील प्रकरण क्रमांक 0261/अपील/17–18 में पारित प्रोसीडिंग आदेश दिनांक 9–1–2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर उसे निरस्त कर प्रकरण में तहसीलदार तहसील इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 82/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 29–05–2015 को यथावत रखने हेतु यह निगरानी सादर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/इन्दौर/भू.रा./2018/817

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश दिनांक 9–1–2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का कियान्वयन हो जाने से प्रकरण में स्थगन दिये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र निरस्त कर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	